

170

केन्द्रीय सूचना आयोग  
2 तल, विंग-‘ब’, अगस्त क्रांति भवन,  
भीकाजी कामा प्लेस  
नई दिल्ली -110066

फाईल सं. 3/3/2008/प्रशा0/के.सू.आ.

दिनांक: 08/05/2017

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश सं. 3/3/2008/प्रशा0/के.सू.आ दिनांक 14.03.17 के आंशिक संशोधन में और आरटीआई अधिनियम की धारा 5 के आदेश अनुसरण करते हुए निम्नलिखित अधिकारी को नामित अधिकारी और सीपीआईओ के रूप में नामित किया गया है-

क्रम सं.	नाम और पद	अधिकार क्षेत्र
१.	श्री सुरिंदर सिंह रोहिल्ला, पदनामित अधिकारी और उप-पंजीयक एवं सीपीआईओ	सूचना आयुक्त, श्री सुधीर भार्गव द्वारा आर टी आई अधिनियम के अध्याय व से संबंधित देखे जा रहे सभी मामलों के लिए

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

श्री. ति. भार्गव  
(एस.पी.बेक) 08/05/17

संयुक्त सचिव (प्रशासन)

प्रतिलिपि :

1. मुख्या सूचना आयुक्त केन्द्रीय सूचना आयोग के निजी सचिव
2. सूचना आयुक्त केन्द्रीय सूचना आयोग के निजी सचिव
3. सचिव, केन्द्रीय सूचना आयोग के निजी सचिव
4. अपर सचिव/रजिस्ट्रार के निजी सचिव
5. संयुक्त सचिव (एम.एंड आर.)/ संयुक्त सचिव (पी. एंड बी.)/ संयुक्त सचिव (विधि)/ संयुक्त सचिव (प्रशासन) ।
6. सभी उप-सचिव/उप रजिस्ट्रार/नामित अधिकारीगण ।
7. डी.डी.ओ./आर.टी.आई.सेल/सी.आर.-I/ सी.आर.-II/ डाक अनुभाग/लाइब्रेरी/रिकॉर्ड रूम/ए.एल.आई.ओ